

सीपज़- विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण,
सीपज़ सेवा केंद्र भवन, सीपज़-विआक्षे
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400 096

सं.सीपज़-सेज़/ईएमएस/आरएलआर/2014-15

दिनांक 16 सितंबर, 2015

परिपत्र संख्या - 29

विषय:- 1 अक्टूबर, 2015 से मासिक लीज़ किराए का अग्रिम भुगतान ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 04.9.2015 के परिपत्र संख्या 28 देखा जाए जिसके द्वारा यह सूचित किया गया था कि किराए का अग्रिम भुगतान किया जाए अन्यथा 12% प्रति महीने की दर से ब्याज लिया जाएगा । आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 30 सितंबर, 2015 तक का देय लीज़ किराए का तत्काल भुगतान किया जाए अन्यथा दिनांक 04.9.2015 के परिपत्र संख्या 28 में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार 12% प्रति महीने की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा ।

यह अध्यक्ष, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

19/9/15

(विजय प्रकाश शुक्ल)

संपदा प्रबंधक

सीपज़-सेज़ प्राधिकरण

प्रति:

1. सीपज़-सेज़ में स्थित सभी बिल्डिंगों के सभी यूनिट धारक
2. चेयरमैन सीमा, सीपज़
3. प्रेसिडेंट, जी तथा जे, मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन, सीपज़-सेज़